भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0ए0 मिस वाद सं0–31'B'/2017–18
अमूल्य महतो बनाम संजय कुमार महतो
:: आदेश ::

20-6-2017 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 1214 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा टी0ए0 मिस0 वाद सं0–31'B'/2017–18 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में विक्रेता श्री अमूल्य महतो पिता स्व0 जगन्नाथ महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला –सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध हेतु क्रेता श्री संजय कुमार महतो, पिता युधिष्ठिर महतो, ग्राम–संडेबुरु, थाना–खरसावाँ, जिला– सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

::भूमि का विवरणी::

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	किस्म
छोटा गम्हरिया	67	40	713	0.02.5 एकड़	गोड़ा दो

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि बिक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि आवेदक पंजी–II रैयत स्वंय है। पंजी–II के अनुसार जीमन पर दखलकार है। मौजा–छोटा गम्हरिया, थाना नं0–67, खाता नं0–40 में आवेदक के हिस्सा में 1.90.10 एकड़ में से 0.02.5 एकड़ भूमि बिक्री करने के बाद 1.87.6 + 1.89.50 एकड़ + 0.02.97 एकड़ कुल 3.80.07 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता अपने हिस्से की भूमि को विक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला के रहने वाले, जाति 'कुर्मी' है, जो पिछड़ा वर्ग में आते है।

उपयुक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.02.5 एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

7/6/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,